FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प खेजड़ला

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
जगदीश		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–127/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.11.2021	प्रार्थी जगदीश पुत्र जयशंकर जाति ब्राह्मण निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प खेजड़ला** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 748 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, तथा हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या नया 1067 व पुराना 806 में दर्ज खसरा नम्बर 232/4055 वां हिस्सा संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि खातेदार जयशंकर पुत्र रिद्धकरण का देहान्त करीब 20 वर्ष पूर्व में हो गया। वादी के पिता जयशंकर की भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किया गया तब वादी का नाम जगदीश के बजाय जुगलकिशोर लिख दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम जगदीश है तथा सरकारी दस्तावेज भी जगदीश पुत्र जयशंकर के नाम से जारी किये हुए है। अन्त में निवेदन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में जुगलकिशोर पुत्र जयशंकर के स्थान पर जगदीश पुत्र जयशंकर की खातेदारी [illegible] की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी जगदीश ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी जगदीश का आधार कार्ड, पहचान पत्र,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:27 IST
Reason: SelfAttested

बैंकडायरी, राशनकार्ड, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 0.2103 हैक्टेयर, जमाबंदी संवत् 2074 स 2077 (खाता संख्या नया 1067 पुराना 806) आदि को पेश किये है। तथा वादी के समर्थन में बयान गवाह सोहनलाल पुत्र जयशंकर जाति ब्राह्मण निवासी हरियाढाणा के कलमबद्ध कराये गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में जुगलकिशोर गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा ह। एवं मै कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रही हूं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम जगदीश के बजाय जुगलकिशोर दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 748 रकबा 0. 2103 हैक्टेयर, तथा हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या नया 1067 व पुराना 806 में दर्ज खसरा नम्बर 232/4055 वां हिस्सा की संयुक्त खातेदारी भूमि में जुगलकिशोर पुत्र जयशंकर के बजाय जगदीश पुत्र जयशंकर की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम खेजड़ला में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:27 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प खेजड़ला

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
जगदीश पुत्र जयशंकर जरिये		राजस्थान सरकार
जाति ब्राह्मण निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा		तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 127 / 2021

निर्णय **दिनांक** :– 22.11.
2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”I होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 748 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, तथा हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या [illegible] में दर्ज खसरा नम्बर 232 / 4055 वां हिस्सा की संयुक्त खातेदारी भूमि में जुगलकिशोर पुत्र [illegible] के बजाय जगदीश पुत्र जयशंकर की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्त [illegible] तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:27 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.11. 2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:27 IST
Reason: SelfAttested